राजस्व अपील संख्या 38/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/33

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 38/2024
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/33

अपीलार्थी :–

मनोहर कंवर पुत्री स्व. श्री नैनदान पत्नी श्री बुधेदान उम्र 56 वर्ष जाति चारण हाल निवासी भाण्डू चारणान, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. श्रीमती सागर कंवर पत्नी स्व. श्री गिरधारीदान
2. सैणीदान पुत्र स्व. श्री नैनदान
3. गंगादान पुत्र स्व. श्री नैनदान
   सभी जातियान चारण, निवासीगण–हिंगलाज नगर, ग्राम बिराई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. दीपक सेठिया पुत्र श्री धनपत सेठिया जाति जैन निवासी 76 गली नं. 1, के.एच. नंबर 769, श्यामनगर, जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 15.12.2001 जो उप तहसीलदार (भू.अ.), बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री कमल सिंह पंवार (अपीलार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री अजीत दहिया (प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह आढा (प्रत्यर्थी सं. 02 व 03 की ओर से)
4. प्रत्यर्थी संख्या 04 स्वयं एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 26.05.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत उप तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम बिराई के नामान्तरकरण संख्या–647 पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2001 को अपास्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ग्रामीण) जोधपुर में दिनांक 6.6.2024 को पेश की गई है, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील के साथ पेश करने में हुई देरी का शमन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, अंतर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 भी पेश किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य अपील मीमों अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम बिराई का खसरा नंबर 890 रकबा 9–17 बीघा, नेनदान [illegible] सुमेरदान, गिरधारी दान, श्रेणीदान पिता नेनदान तथा खसरा नंबर 868 रकबा 14–09 बीघा, 871 रकबा 35–07 बीघा खसरा नंबर 872 रकबा 17–01 बीघा, खसरा नंबर 882 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11–17 बीघा, नेनदान, रूपदान पिता सुमेर दान की खातेदारी में दर्ज थी। जिसका वर्तमान ग्राम हिंगलाजनगर है। श्री नेनदान का स्वर्गवास सन् 2000 में होने पर ग्राम बिराई के नामांतरकरण संख्या 647 से प्रत्यर्थी स.–1 के पति गिरधारी दान पुत्र श्रेणीदान व गंगादान तथा पत्नी हवा कंवर के नाम उक्त आराजी दर्ज की गई। हवा कंवर का देहांत हो चुका है। स्वर्गीय नेनदान के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी वादियां– मनोहर कंवर, प्रत्यर्थी–1,2,3 ही है। पुत्र गिरधारी दान का देहान्त होने से उनकी वारिश पत्नी प्रत्यर्थी एक–सायर कंवर है । उक्त पैतृक संपत्ति में अपीलांट का नेनदान के हिस्से की कृषि भूमि में अपीलांट का प्रत्यर्थी 1 से 3 तक के हिस्सों के बराबर हक है परन्तु कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की जाकर नेनदान की पुत्री अपीलांट का नाम जानबूझकर नामांतरकरण दर्ज करते समय छोड दिया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत अपीलांट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीणी है तथा जन्म से ही नेनदान की संपत्ति में अन्य वारिशान के समान हक अधिकार, हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी रूप से हकदार है उक्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा नक्शे में बंटवारा करके तरमीम भी नहीं की गई है विवादग्रस्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय नेनदान के कानूनी वारिसों की सही जांच नहीं की तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक तरफा ही अपीलाधीन नामांकरकरण स्वीकृत किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है अपीलांट ने अपना हिस्सा मांगा तो प्रत्यर्थीगण ने मना कर दिया तो अपीलार्थी ने रिकार्ड की नकले प्राप्त की जो उसे दिनांक 21.05.2024 व 22.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसे देखने पर पता चला कि अपीलार्थी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी का हिस्सा हड़पने की नियत से अपने नाम पूरी भूमि करवाली है। प्रत्यर्थी 1 कुछ भूमि प्रत्यर्थी स. 4 को 29.04.2024 को बेचान कर दी तथा नामान्तरकरण संख्या 246 दिनांक 13.05.2024 को प्रत्यर्थी 4 के नाम दर्ज करवा लिया है प्रत्यर्थी–1 ने मनमर्जी से अपना 1/3 हिस्सा मानकर बेचान किया है जबकि उसका 1/4 हिस्सा ही बनता है। अतः नामानन्तरकरण सं 647 पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2001 को अपास्त किया जावे तथा नैनदान के विधिक वारिशान के नाम रिकार्ड में दर्ज किए जावे।

3. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से श्री डिम्पल भाटी व वन्दना अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 सायर कंवर की ओर से श्री अजीत दैया ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री विक्रम सिंह आढ़ा, ने वकालतनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल सिंह पंवार ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मीमों के पैरा संख्या 5 में नेनदान की वंशावली का सजरा है जिसके अनुसार अपीलांट प्रत्यर्थी 1 से 3 तक नेनदान के वारिशान है। सम्पति पैतृक है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानानुसार अपीलांट प्रथम श्रेणी की वारिश है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 647 में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करके विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। बिना बटवारा किए व हिस्सों का निर्धारण किए, प्रत्यर्थी 1 सागर कंवर ने 1/3 हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी 4 को 29.04.2024 को बेचान की है, जो गलत है, वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नही कर सकती । अपील को म्याद सुमार माना जावे तथा धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। नामान्तरकरण 647 की जानकारी, प्रत्यर्थी 1 द्वारा भूमि बेचने पर हुई है। अपीलांट द्वारा अपील संशोधन हेतु पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 को भी स्वीकार किया जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह आढा ने बहस करते हुए तर्क दिया कि स्वर्गीय नेनदान के तीन पुत्र व एक पुत्री अपीलांट है यह तथ्य सही है। आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। पुत्र गिरधारी दान का देहांत होने से उनकी पत्नी प्रतिनिधि संख्या 01 सागर कंवर है।

7. प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से श्री अजीत दैया विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट नेनदान की पुत्री है वह अपने पीहर आती–जाती रहती है। अपीलांट ने अपील मीमों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसका अपने भाईयों व भाभी से बोलचाल नहीं है या मेल मुलाकात नहीं है। अपीलांट को यह भली भांति जानकारी है कि पिता नेनदान की संपत्ति भाईयों के नाम हो चुकी है फिर भी 23 वर्ष बाद में यह अपील पेश की है जो म्याद बाहर है। प्रत्यर्थी संख्या 01 सागर कंवर ने अपना संपूर्ण हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 04 को बेचान कर दिया है। अब प्रत्यर्थी संख्या 01 का संपत्ति में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है, जब तक, इस रजिस्टर्ड बेचाननामा को निरस्त नहीं कराया जाता, तब तक नामांतरकरण निरस्त नहीं हो सकता। इन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा अपील खारिज करने का कथन किया।

A. आरआरटी 2020(2)पेज 328 (मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी बनाम श्यामलाल)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

B. Bhimabai Mahadeo Kambekar (D)(Smt.) thr.L.Rs. V/S Arthur Import & Export Co. Ltd- 2019(1)RRT-593

C. 2012(2)डीएनटी (राज.)–1082 (घीसाराम बनाम राजस्व मण्डल)

D. RRT 2017(1) Page-117 (V.S. Mertiya (Smt) thr. his LRs V/S Jodhana R.E.D.Co. Pvt. Ltd.)

8. प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया तथा बहस नहीं की गई।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार है–

a)हस्तगत अपील को गुणावगुण पर विनिर्णित करने से पूर्व इस अपील को पेश करने में हुई देरी का शमन करने हेतु अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश किया है तथा कथन किया है कि अपीलार्थी स्वर्गीय नेनदान की जायंदा पुत्री है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत वह प्रथम श्रेणी की नेनदान की वारिश है तथा नेनदान की संपत्ति में जन्म से ही उसका अधिकार है। विरासत का नामांतरकरण भरते समय उसका नाम साजिश के तहत छोड़ा गया है तथा वह ससुराल में रहती है इस कारण उसे सन 2001 के नामांतरकरण की जानकारी मई 2024 में प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 04 को 29.04.2024 को बेचने पर हुई तथा दिनांक 21.05.2024/22.05.2024 को नामांतरकरण की व रिकॉर्ड की नकले लेकर अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है तथा मात्र देरी के कारण अपीलांट को अपने सांपतिक उत्तराधिकार से प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से अपीलांट को अपीलाधीन नामांतरण की जानकारी होने का कथन जरूर किया है परंतु ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है, जो यह साबित कर सके कि अपीलांट को अमुक तारीख से व अमुक तरीके से अपीलाधीन नामांतरकरण की मई 2024 से पूर्व से ही जानकारी थी।

प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017(1)आरआरटी–117 व 2012(2)डीएनटी(राज.)–1082 में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत अपील के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टांतों में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही में अपीलांटस या पक्षों ने भाग लिया था, परंतु हस्तगत प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 647 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2001 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कार्यवाही में अपीलांट द्वारा भाग लेने या उसकी जानकारी होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अपीलांट को जन्म से ही नेनदान की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा प्रकरण को विनिर्णित करने हेतु सारभूत विधिक प्रश्न अंतर्वलित है। मात्र नामांतरकरण की कार्यवाही से ही अपीलांट को कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट स्वीकार्य रूप से व निर्विवाद रूप से नेनदान की जायंदा पुत्री है। इसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं तथा इस प्रमाणिक तथ्य के बावजूद भी अगर अपीलांट को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर करके अधिकारों का न्याय निर्णय करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। अतः प्रमाणिक जानकारी मई 2024 से पूर्व होने का कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अंदर म्याद पेश होना शुमार की जाती है तथा अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है।

b)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम बिराई का खसरा नंबर 890, 888, 868, 871, 872 व 882 में अन्य सहखातेदारान के साथ नेनदान का भी हिस्सा दर्ज था। नेनदान के फौत होने पर (दिनांक 18.09.2000) व गिरधारी दान के फौत होने पर ग्राम बिराई का नामांतरकरण संख्या 647 दर्ज किया गया तथा नेनदान की जगह सेणीदान, गंगादान, मु. हवाकंवर, मु. सागर कंवर पत्नी गिरधारीदान पुत्र नेनदान का नाम दर्ज किया गया तथा दिनांक 15.12.2001 को नामांतरकरण उप तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया।

नामांतरकरण संख्या 647 के कॉलम संख्या 7 में दर्ज अनुसार खसरा नंबर 890 व 888 में नेनदान के साथ–साथ उनके पुत्र गिरधारीदान व श्रेणीदान का भी नाम है परंतु सहखातेदारान के हिस्से दर्ज नहीं है। यही कारण रहा कि उत्तराधिकार सेणीदान व सागर कंवर का दो बार नाम दर्ज है।

इसी प्रकार खसरा नंबर 868, 871, 872 व 882 कुल रकबा 76–14 बीघा भूमि नेनदान, रूपदान पिता सुमेरदान के नाम दर्ज थी तथा नेनदान की जगह सेणीदान, गंगादान, मु. हवाकंवर, मु. सागर कंवर पत्नी गिरधारीदान का नाम दर्ज है तथा इन खसरों में हिस्सों का आकलन किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) उक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 647 में दर्ज उत्तराधिकारियों में अपीलांट मनोहर कंवर का नाम दर्ज नहीं है जबकि स्वीकार्य रूप से मनोहर कंवर, स्वर्गीय नेनदान की जायंदा पुत्री है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अनुसूची में अपीलांट कानूनी रूप से प्रथम श्रेणी की नेनदान की वारिश अन्य पुत्रों व पत्नी हवाकंवर के साथ है। फिर भी नामांतरकरण में अपीलांट मनोहर कंवर का नाम दर्ज नहीं करना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना है। राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियमों के तहत नामांतरकरण दर्ज करते समय कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

d) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण एक समरी कार्यवाही है तथा एक मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है तथा यह भूमि पर स्वत्व का सृजन या समाप्त नहीं करता तथा न ही यह उपचारणात्मक मूल्य रखता है परंतु यह भी सुस्थापित है कि नामांतरकरण राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से सृजित अधिकारों, स्वत्वों व हकों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि में नए सिरे से किसी भी प्रकार से स्वत्वों/अधिकारों का सृजन नहीं हुआ है। अपीलांट के हक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जन्म से ही अपीलांट का पिता की संपत्ति में हक सृजित हो चुका है (विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020(2) आरआरटी एससी 998) तथा उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता तथा न ही कोई वाद इस बाबत लंबित होने का तथ्य हमारे ध्यान में लाया गया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत–2019(1)आरआरटी–593 में प्रतिपादित व्यवस्था हस्तगत प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर लागू नहीं होते हैं क्योंकि निर्विवादित रूप से दोनों पक्ष अपीलांट को स्वर्गीय नेनदान की जायंदा पुत्री मानते हैं तथा अपीलांट द्वारा अपने हकों का त्याग, बेचान, बख्शीश इत्यादि से अंतरण नहीं किया है। नेनदान की पुत्री होने के तथ्यों का न्याय निर्णय करना आवश्यक नहीं है।

e) इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा 2020(2)आरआरटी 829 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि जब तक प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 04 के पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज दिनांक 29.04.2024 को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब तक अपीलाधीन नामांतरकरण अपास्त नहीं किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों से हम सहमत नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 01, सागर कंवर भी, नेनदान के अन्य वारिशान के साथ सहखातेदार है तथा सागर कंवर को कुल आराजी में से अपने हिस्से तक की भूमि को हस्तांतरण करने का सीमित अधिकार है। अपने हिस्से से अधिक का हस्तांतरण शून्य है तथा केता संयुक्त आराजी का विधिवत बंटवारा कराए बिना क्रय की गई भूमि के भाग विशेष पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 भी अपने हक से अधिक का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अपीलांट के अधिकार जन्म से ही निश्चित हिस्से तक सुरक्षित हैं, जिसे वह जरिए नामांतरकरण दर्ज करवाने की कानूनी रूप से जरिये उत्तराधिकार दर्ज करवाने की अधिकारिणी है तथा उसे शून्य बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

f) प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2020(2)आरआरटी 829, हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। यह दृष्टांत रेफरेंस से संबंधित है जिसमें सेलडीड की वैद्यता व कानूनी मान्यता देने का प्रश्न अंतर्वलित था। हस्तगत प्रकरण उत्तराधिकार से संबंधित है तथा अपने हक से अधिक का हस्तांतरण ab initio void है तथा void दस्तावेज को अपास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

केता (प्रत्यर्थी सं. 4) अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में विभाजन का वाद लाने हेतु स्वतंत्र है तथा वह बेचानकर्ता (प्रत्यर्थी सं. 01) के हकों की सीमा तक आराजी प्राप्त कर सकता है। जब तक केता, उक्त कार्यवाही नहीं करता है, तब तक वह अजनबी (Stranger) है, परंतु अपीलांट अजनबी नहीं है।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह अपील स्वीकार योग्य है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 647 ग्राम बिराई पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2001 अपास्त योग्य है।

आदेश

11. फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बिराई वर्तमान ग्राम हिंगलाजनगर के नामांतरकरण संख्या 647 पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी में नेनदान के वारिशान के साथ-साथ अपीलांट मनोहर कंवर का नाम भी जरिये नामांतरकरण सक्षम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (राजस्व)
जोधपुर

12. निर्णय के प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार बालेसर को पुनः लौटाया जावे।

13. इस अपील में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:45 IST
Reason: SelfAttested